समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला आपूर्ति ,शाखा)
पत्रांक.............

प्रेषक,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
मधेपुरा ।

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी
मधेपुरा/उदाकिशनुगंज।

मधेपुरा,दिनांक..............

विषयः- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अवशेष बचे ईचालान के विरूद्ध जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं से उपवांटित खाद्यान्न का मूल्य निगम के खाते में जमा कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0, मधेपुरा के पत्रांक 4273 दिनांक 02.04.2016 (छाया प्रति संलगन) के द्वारा खाद्यान्न के उठाव हेतु मधेपुरा जिलान्तर्गत माह जनवरी,2016 में 01, माह फरवरी,2016, में 07, माह मार्च,2016 में 31 एवं माह अप्रैल,2016 में 319 जन वितरण प्रणाली विकेताओं द्वारा उपवांटित खाद्यान्न की विरूद्व राशि राज्य खाद्य निगम के खाते जमा नही करने संबंधी सूची उपलब्ध कराते हुए संसूचित किया गया है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा निर्धारित समय सीमान्तर्गत उपवांटित खाद्यान्न की राशि निगम के खाते में जमा नही किये जाने की स्थिति में खाद्यान्न क्रय/उठाव में विलंब होता है एवं डोर स्टेप डिलेवरी कार्य भी प्रभावित होता है। उक्त स्थिति में राज्य को प्राप्त खाद्यान्न का आवंटन के विरूद्ध जन वितरण प्रणाली के विक्रेतावार उपवांटन ससमय उपलब्ध कराकर जेनरेट ईचालान के समतुल्य राशि निगम के खाते में जमा कराये जाने की आवश्यकता है,ताकि निर्धारित समयावधि में खाद्यान्नों का क्रय/उठाव कर डोर स्टेप डिलेवरी के तहत् राशि के विरूद्ध खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकें। इस हेतु प्राथमिकता के आधार पर अवशेष बचे ईचालान के विरूद्ध जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं से उपवांटित खाद्यान्न की राशि निगम के खाते में जमा कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है, ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का संचालन सुगमतापूर्वक सम्पन्न कराया जा सकें।

अतः वर्णित परिपेक्ष्य में अनुरोध है कि अपने स्तर से प्राथमिकता के आधार पर अवशेष बचे ईचालान के विरूद्ध जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं से उपवांटित खाद्यान्न की राशि निगम के खाते में जमा कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय, ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का संचालन सुगमतापूर्वक सम्पन्न कराया जा सकें।

अनुलग्नकः-यथौक्त

विश्वासभाजन

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक- 307 दिनांक- 13.04.2016

प्रतिलिपिः- सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिलाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना बिज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित

13/4/16

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
मधेपुरा।

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन,लि0

खाद्य भवन, दरोगा प्रसाद राय पथ, आर.ब्लॉक रोड नं0–2 पटना 800001

पत्रांक 4273 पटना/ दिनांक 02/04/16

पंकज कुमार (भा0प्र0से0)
प्रबंध निदेशक
मुख्यालय, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
बिहार।

विषयः– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अवशेष बचे ईचलान के विरूद्व जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं से उपआवंटित खाद्यान्न का मूल्य निगम खाते में जमा कराने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में टी0पी0डी0एस0 के अन्तर्गत लक्षित जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओ द्वारा निगम खाते में राशि जमा की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 31.3.2016 तक की अवधि में भी माह जनवरी 2016 के लिये 190 एस0आई0ओ0 फरवरी 2016 के लिये 850 मार्च 2016 के लिये 4583 एवं अप्रैल 16 के लिये कुल 38055 ईचालान के विरूद्व राशि निगम खाते में जमा नहीं किया गया हैं। ज्ञातव्य है कि पूरे बिहार राज्य में 46197 जन वितरण प्रणाली के विक्रेता कार्यरत है जिसके लिये लगगभग 79000 ईचालान प्रति माह निर्गत किया जाता हैं। जिसके विरूद्व विक्रेताओ द्वारा निर्धारित समय सीमान्तर्गत उपआवंटित खाद्यान्नों की राशि निगम खाते में जमा नही किये जाने की स्थिति में खाद्यान्नों का क्रय/उठाव में विलम्ब होता हैं एवं डोर स्टेप डिलेवरी कार्य भी प्रभावित होता हैं। उक्त स्थिति में राज्य को प्राप्त खाद्यान्न का आवंटन के विरूद्व जन वितरण प्रणाली के विक्रेतावार उप आवंटन ससमय उपलब्ध कराकर जेनरेट ईचालान के समतुल्य राशि निगम खाते में जमा कराये जाने की आवश्यकता है ताकि निर्धारित समयावधि में खाद्यान्नों का क्रय/उठाव कर डोर स्टेप डिलेवरी के तहत् जमा राशि के विरूद्व खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा जमा नहीं की गई राशि से संबंधित संलग्न प्रतिवेदन के अवलोकन से स्वंतः स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

वर्णित परिपेक्ष्य में अनुरोध है कि अपने स्तर से प्राथमिकता के आधार पर अवशेष बचे ईचालान के विरूद्व जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओ से उपआवंटित खाद्यान्न की राशि निगम खाते में जमा कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय, ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का संचालन सुगमतापूर्वक सम्पन्न कराया जा सकें।

विश्वासभाजन,
2/4/2016
प्रबंध निदेशक।

1.3.16 mdsir

427
4/4/16

01.04.2016

District Wise SIO Status Report, Month : January 2016 To April 2016 , Scheme : all

S.N.	District	Dealers	Payment pending as on 31.03.2016			
			Jan'16	Feb'16	Mar'16	April'16
1	Araria	1274	1	0	59	926
2	Arwai	385	0	0	13	655
3	Aurangabad	1296	5	2	12	720
4	Banka	905	0	5	189	123
5	Begusarai	1126	0	2	82	1676
6	Bhagalpur	1271	0	0	93	90
7	Bhojpur	1351	19	90	457	871
8	Buxar	850	0	0	16	1097
9	Darbhanga	1420	0	0	9	216
10	Gaya	2225	1	8	222	2290
11	Gopalganj	1297	1	10	142	575
12	Jamui	797	0	0	3	283
13	Jehanabad	584	0	0	0	129
14	Kaimur	638	0	0	3	79
15	Katihar	1090	6	32	218	1418
16	Khagaria	680	0	0	19	952
17	Kishanganj	736	0	0	11	341
18	Lakhisarai	436	0	0	0	388
19	Madhepura	665	1	7	31	319
20	Madhubani	1702	1	2	6	218
21	Munger	637	0	6	147	585
22	Muzaffarpur	2208	2	7	104	2118
23	Nalanda	1291	0	6	120	1604
24	Nawada	926	0	0	4	1347
25	Pash Champ	2010	13	42	357	2112
26	Patna	3067	74	514	1567	1919
27	Purvi Champ	2398	0	2	43	1643
28	Purnia	1200	0	2	57	1109
29	Rohtas	1143	12	25	150	1066
30	Saharsa	771	2	17	173	1232
31	Samastipur	1545	0	0	19	2407
32	Saran	2639	0	0	30	4342
33	Sheikhpura	297	0	0	0	367
34	Sheohar	286	0	0	1	351
35	Sitamarhi	1142	50	60	51	1136
36	Siwan	1563	0	0	0	29
37	Supaul	779	0	2	71	391
38	Vaishali	1567	2	9	104	931
	TOTAL	46197	190	850	4583	38055
		46197	190	850	4581	